

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर  
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 17-02-2009

क्रमांक एफ-10/8 /2009/वाक/पांच ( 14 ) – केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/32/2008/वाक/पांच (26) दिनांक 31.03.2008 में कालावधि से संबंधित अंक "2009" के स्थान पर अंक "2010" प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)  
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 17-02-2009

क्रमांक एफ-10/8 /2009/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/ 8/2009/वाक/पांच ( 14 ) दिनांक 17-02-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)  
उप सचिव

**Government of Chhattisgarh  
Commercial Tax Department  
Mantralaya  
Dau Kalyan Singh Bhawan, RAIPUR**

**NOTIFICATION**

Raipur, Dated 17-02-2009

No. F-10/ 8 /2009/CT/V ( 14 ) – In exercise of the powers conferred by section 8 (5) of Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the State Government hereby makes the following amendment:-

**AMENDMENT**

In notification No. F-10/32/2008/CT/V (26) dated 31-03-2008 for the figure related to period “2009” the figure “2010” shall be substituted.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

**(V.K. Rai)**  
**Deputy Secretary**

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 11-11-2009

क्रमांक एफ-10/35/2009/वाक/पांच ( 43 ) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2008 से 30 अप्रैल, 2008 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:-

अनुसूची

| अ.क. | वस्तुओं की श्रेणी                                                                                                                                                                                 | छूट की सीमा                                           | निर्बन्धन तथा शर्तें<br>जिनके अध्ययन रहते हुए<br>छूट प्रदान की गई है                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)                                                                                                                                                                                               | (3)                                                   | (4)                                                                                                                               |
| 1.   | इन्गोर्ट्स, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) की श्रेणी (दो) में वर्णित है।                                                                     | अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए। | (क) विक्रेता द्वारा 2 प्रतिशत की दर से कर वसूल एवं जमा किया गया हो, तथा<br>(ख) अधिक वसूल या जमा कर की वापसी प्रदाय नहीं की जाएगी। |
| 2.   | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में वर्णित लोहा एवं इस्पात, हूप्स, स्ट्रीप्स, फीश प्लेट बार्स, बेयरिंग प्लेट बार्स एवं इनके छोर की कटिंग्स। | अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए। | (क) विक्रेता द्वारा 2 प्रतिशत की दर से कर वसूल एवं जमा किया गया हो, तथा<br>(ख) अधिक वसूल या जमा कर की वापसी प्रदाय नहीं की जाएगी। |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. रॉय

उप सचिव

रायपुर, दिनांक 11-11-2009

क्रमांक एफ-10/35/2009/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/35/2009/वाक/पांच ( 43 ),दिनांक 11-11-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम  
से  
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राँय)  
उप सचिव

**Government of Chhattisgarh**  
**Commercial Tax Department**  
**Mantralaya**  
**Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

**NOTIFICATION**

Raipur, Dated 11-11-2009

No. F-10/ 35 /2009/CT/V ( 43 ) – Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, for the period from 1<sup>st</sup> April, 2008 to 30<sup>th</sup> April, 2008:-

**SCHEDULE**

| S.No. | Class of Goods                                                                                                                                                                                  | Extent of Exemption                                  | Restrictions and conditions subject to which exemption is granted                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                                                                                                                                             | (3)                                                  | (4)                                                                                                                             |
| 1.    | Ingots, as specified in category (ii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).                                                                         | Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent. | (i) The seller has collected and paid tax @ 2%, and<br>(ii) No refund shall be granted for excess collection or payment of tax. |
| 2.    | Iron and steel as specified in categories (iv), (v) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 hoops, strips, fish plate bars, bearing plate bars and end cutting thereof. | Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent. | (i) The seller has collected and paid tax @ 2%, and<br>(ii) No refund shall be granted for excess collection or payment of tax. |

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

**(V.K. Rai)**  
**Deputy Secretary**